समाचार

विभिन्न स्थानों में दुकानें खोलकर किया लाकडाउन का उल्लंघन, लगा अर्थदण्ड

(लाकडाउन उल्लंघन करने वालों पर लगाया गया 8000 रूपये का अर्थदण्ड)

कोरबा 28 अप्रैल 2021 –लाकडाउन के उल्लंघन पर नगर निगम कोरबा द्वारा कड़ी नजर रखते हुए उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आज निगम के कोरबा, टी.पी.नगर, दर्री व सर्वमंगला जोनांतर्गत लाकडाउन उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुए पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम अमले ने 8000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें लाकडाउन का पालन करने के लिए कड़ी हिदायत दी।

लाकडाउन के दौरान दुकान खोलने एवं निर्धारित समय के पश्चात फल, सब्जी का विक्रय कर लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आज भी कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया गया। कोरबा जोन इतवारी बाजार क्षेत्र में 03 किराना दुकानों में शटर उठाकर सामग्री का विक्रय किया जा रहा था, वहीं टी.पी.नगर जोन में मोटर पार्ट्स बेचने वाली एक दुकान खुली हुई थी, निगम अमले ने इस पर कार्यवाही करते हुए इन सभी दुकानों पर अर्थदण्ड लगाया, इसी प्रकार दर्री व सर्वमंगला जोनांतर्गत भी निर्धारित समय के बाद एवं एक स्थान पर ही खड़े रहकर फल, सब्जी का विक्रय करने वालों, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर भी अर्थदण्ड लगाया गया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि वे अनिवार्य रूप से लाकडाउन के नियमों का पालन करें। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोन में 2100 रूपये, टी.पी.नगर जोन में 3000 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 2000 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा कड़ी हिदायत दी गई कि यदि दोबारा उनके द्वारा लाकडाउन का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।